

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 137/प्र0आ0-गवर्न/जोन-1/शमन/प्रस्ता0/2012-13 दिनांक 29/11/13

दिनिदितीकरण/अनुमति-पत्र





यह दिनिदितीकरण/प्रस्तावित निर्माण की अनुमति क्रमांक 0093 नगर निर्माण तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 37 एवं 14/15 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु शर्त यह न समझना चाहिये कि एसा मुद्दे के सम्बन्ध में जिस पर दिनिदितीकरण/प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विषय या इसका स्थानीय अधिकारों या व्यक्ति अपना फर्म के अधिकारों पर किसी का कोई उत्तर नहीं होगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निरंकुश या सम्बन्धित के अधिकारों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगी।

श्री चौधुराम राम प्रबन्धक, वालिनत्र स्कूल स्थल गृहण संख्या 5 सुलेम सराय आवास योजना इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत वास्तव मानचित्र के दिनिदितीकरण/प्रस्तावित निर्माण की अनुमति केन्द्रीय प्रतिपक्षों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. ए090 नगर निर्माण एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्रावधानों के अनुसार मय निर्माण एवं विकास अधिनियम 2002 में एपेन्डिक्स 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्दिष्ट प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्ण प्रमाणित प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को तब तक पूर्ण करने के उपरान्त निर्मित किये जाने वाले निर्माणों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्पश्चात् समस्त अनिवार्यताएँ पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. मानचित्र न्यायालय में फाई बाबू होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में उचित स्वीकृति मानीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वतन्त्र सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र सार्व निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 10 अक्षर बूझ लगाने होंगे तथा छठी को हवा-माला रखने का वास्तव आवेदनक का होना।
6. स्थल पर सेनाद्वारा सर्वेक्षण मानक के अनुसार पूर्ण कर सु-दर्शनी जल बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. स्थल पर संसार वाटर टैपिंग टैप की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
8. मानचित्र में दी गई रंग से दर्शाए गए सभी स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर प्रवेश करना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में विधे नगर शमन पत्र दिनांक 25.09.2012 का अनुपालन आवश्यक होगा।
9. C.F.O इलाहाबाद की अन्तिम अनुमति दिनांक 03.01.2013 में अंकित समस्त प्रतिपक्षों का अन्तर्गत अनुपालन करना होगा तथा शर्त पूर्ण होने पर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. यदि आवश्यक हो तो कोई स्ट्रक्चर सूचना दिनांक 1 मई 1973 अथवा तत्पश्चात् सूचना दी गयी है तो ए090 नगर निर्माण एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने होगा।
11. यदि भूखण्डों का एन-रिजिस्ट्रेशन अथवा फाई एन रोल इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्फोर्मेशन द्वारा नियमानुसार ए090 नगर निर्माण एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
12. भूदान निर्माण से यदि भाली के सहज की वहाँ अथवा सहज या गली के किसी भाग (जो भूदान के अन्तर्गत गैर-सहज अथवा उसके अन्तर्गत के अर्थ में एक भाग है) को हानि पहुँचे तो गृहकार्मी टैपार हो जाने पर 15 दिन के भीतर भूदान वाले विकास प्राधिकरण में एक लिखित सूचना देकर और शीघ्र जहाँ से पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत करवाकर पूर्णकर लेना जिससे विकास प्राधिकरण को संतुष्ट हो जाए, में कर देना।
13. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफोर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी क्लस 1965) नियम 22 का अनुपालन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. अपेक्षित को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को भूदान की नींव तक तथा हल तक न जाने ए090 अन्तर्गत पूर्ण होने की सूचना भूदान आवेदन होने से पूर्व देना होगा तथा इस आवेदन का नगर में देना होगा जिसके निरीक्षण में भूदान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में वास्तव स्थान का अतिक्रमण होत पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति एवं सभी जगहों और किया गया निर्माण अन्विकृत प्रमाणित कर तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अंशम की जायेगी।

Handwritten signature and date: 29/11/2013

(मुद्रांकित नाम)
संयुक्त सचिव/प्र0आ0-गवर्न
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद



COMPILING / SANCTIONED SCHOOL BUILDING
 PLAN OF 'BAL MITRA SCHOOL' ON PLOT NO-S-5,
 AT SULEM SARAI HOUSING SCHEME (DHOWAN
 GAUJ), ALLAHABAD



DRG NO. HMC/COMP-502/3/AUG-12
 SHEET NO. 1
 SIZE A1+

DETAILED BY: E. MITLESH KUMAR
 CHECKED BY: 1:100
 SCALE: 1:100
 REVISED DATE: AUG-12
 PER PROVISIONS OF MASTER
 PLAN-202 AND UPVCH-2008

SIGN OF ENGINEER
 SIGN OF SECRETARY

OWNER-SRI C.P. YADAV
 MANAGER
 BAL MITRA SCHOOL AT
 DHOWANGANJ, ALLAHABAD
 DISTRICT-PRAYAGRAH
 U.P.-2010025

COMPOUNDING / SANCTIONED SCHOOL BUILDING
 PLAN OF BAL MITRA SCHOOL ON PLOT NO-S-5,
 AT SULEM SARAI HOUSING SCHEME (DHOOMAN
 GANJ), ALHABAD
 DRG NO. HMC/COMP-09/25/AUG-12
 SHEET NO. 1
 SIZE A2
 CHECKED BY: E. MITLESH KUMAR
 SCALE: 1:200
 REVISED DATE: AUG-12
 PER PROVISIONS OF MASTER
 PLAN 2021 AND UPVIDH 2008
 E. MITLESH KUMAR
 PLOT NO. 5
 MADE BY: E. MITLESH KUMAR
 DATE: 10/08/12
 SIGN. OF SECRETARY
 OWNER-SRI C. R. YADAV
 MANAGER
 BAL MITRA SCHOOL AT
 DHOOMANGANJ, ALHABAD
HOME MARKER'S AND
 CONSULTANT
 ESTIMATORS, PLANNERS & ENGINEERS
 ALHABAD MOBILE-9609991110



LEGEND

1. COMPOUNDING COVERED AREA SHOWN THUS
2. SANCTIONED COVERED AREA SHOWN THUS
3. PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS
4. EXIST TO BE DEMOLISHED AREA SHOWN THUS
5. RAIN WATER PIPE SHOWN THUS
6. RAIN WATER HARVESTING SHOWN THUS
7. SET BACK LINE SHOWN THUS

